163 सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यम जो केन्द्रीय महंगाई भत्ते का पैटर्न अपना रहे थे, उनके द्वारा 1.1.1989 से औद्योगिक महंगाई भत्ते का पैटर्न तथा संबंधित वेतनमान अपनाना

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 3.5.1980 को दिए गए निदेशानुसार केन्द्रीय महंगाई भत्ते का पैटर्न अपनाने वाले सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यमों में 1.1.89 को या इसके बाद नियुक्त सभी कर्मचारी औद्योगिक महंगाई भत्ते के पैटर्न और संबंधित वेतनमानों पर नियुक्त माने जाएंगे। संगठित तथा गैर–संगठित पर्यवेक्षकों तथा कार्यकारी अधिकारियों दोनों के लिए मॉडल वेतनमान तैयार कर लिए गए हैं। 1.1.89 को तथा इसके बाद की तारीखों को देय वेतनमान तथा औद्योगिक महंगाई भत्ता दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। तीसरे केन्द्रीय वेतन आयोग के महंगाई भत्ते के पैटर्न के अंतर्गत संशोधन पूर्व वेतनमान भी इस विवरण में दिखाए गए हैं।

2. केन्द्रीय महंगाई भत्ते का पैटर्न अपनाने वाले सभी 69 सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यमों को औद्योगिक महंगाई भत्ते का पैटर्न तथा संबंधित वेतनमान अपनाने के लिए प्रस्ताव तैयार करने चाहिए। ये सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यम कार्यकारी अधिकारियों सहित संगठित/गैर संगठित कर्मचारियों के लिए व्यापक मजदूरी/वेतन के पैटर्न तैयार कर सकते हैं। अनुलब्धियों की यह राशि जो वे औद्योगिक महंगाई भत्ते पर नियुक्त कर्मचारियों को देना चाहेंगे तथा औद्योगिक महंगाई भत्ते के वेतनमान, उन्हें इसे विभाग के परामर्श से समुचित अनुमोदन के लिए अपने प्रशासनिक मंत्रालयों को प्रस्तुत करने चाहिए।

3. भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे केन्द्रीय महंगाई भत्ता अपनाने वाले सभी 69 सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यमों को राष्ट्पतिक निदेश जारी करें जिसमें वे सांविधिक निगमों के तौर पर स्थापित सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यमों की सीमित कंपनियों/संविधियों के रूप में रजिस्टर्ड सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यमों को संगत अंतर्नियमों के उपबंधों को शामिल करें ताकि वे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 3.5.90 को दिए गए निर्देशों को उपयुक्त ढंग से क्रियान्वित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाएं।

(लो.उ.वि. का 22 अप्रैल, 1991 का का.ज्ञा. सं. 2(48)/90–डी.पी.ई. (डब्ल्यू.सी.))

संघबद्ध कामगार

संशोधन पूर्व **1.1.73 – 31.12.85**	**सरकारी उद्यमों द्वारा 1.1.89 से अपनाए जाने वाले मॉडल वेतनमान**	
196-232/200-240/210-270 200-250/240-308	1035-20-1235-22-1345	(15)
210-270/210-290	1065-22-1285-26-1415	(15)
225-308/200-350	1095-26—1355-30-1475	(14)
260-350/260-400	1135-30-1435-34-1707	(18)
260-400/290-350 260-430/290-400 260-480 320-400 330-450/330-480	1160-30-1460-34-1732 1205-34-1545-38-1811	(18) (17)
330-560/330-530	1245-38-1625-41-1789-45-1969	(18)
380-560	1355-41-1765-45-1990	(15)
380-620/380-640/425-600 425-640/425-700	1370-41-1790-45-2015 1410-50-1910-60-2330	(15) (17)
425-800/440-750/470-750		

550-800/550-750	1535-60-2135-70-2555	(16)
550-900	1900-75-2275-85-3040	(14)

कार्यकारी अधिकारियों को औद्योगिक महंगाई भत्ते की स्कीम वाले वेतनमानों पर भर्ती किया जाएगा।

तीसरे केन्द्रीय वेतन आयोग के महंगाई भत्ते पैटर्न के तहत संशोधन पूर्व **1.1.73 से 31.12.85**	मॉडल औद्योगिक महंगाई भत्ते के वेतनमान **1.1.1989 से प्रभावी**	
650-1200	2100-100-3600	(15)
700/1300/1600	2400-120-4320	(16)
100-50-1600	3000-130-3780-140-5040	(15)
1300-50-1800/1300-50-1700	3700-140-4400-150-5900	(15)
1500-2000/1500-1800 1800-2000/1800-100-2000-125/2-2250	4400-150-5450-155-6225 5050-155-5828-165-6485	
2000-2250/2000-2500	5550-165-6870	
2250-125-2750 2250-125/2-2750	6250-175-7475	
2500-125/2-2750	6500-175-7725	
2500-3000	72-200-8250	

कार्यपालकों के लिए औद्योगिक महंगाई भत्ते की राशि

तारीख से प्रभावी	आई डी ए की राशि	ए आई सी पी आई
1.1.1989	221.10	819
1.4.1989	214.50	815
1.7.1989	231.00	825
1.10.1989	268.95	848
1.1.1990	301.95	848
1.4.1990	290.40	861
1.7.1990	331.65	886
1.10.1990	399.30	927
1.1.1991	453.75	960

1.4.1991	504.90	991

गैर–कार्यपालक

वेतन स्लैब	निर्धारित डी.ए. 1.1.1989 से प्रभावी एफ.डी.ए. की राशि
1435 रु. तक	101.60 रु.
1436–2000 रु.	121.60 रु.
2001 रु. – 2300 रु.	181.60 रु.
2301 रु. – 2400 रु.	241.60 रु.
2401 रु. से अधिक	361.60 रु.

परिर्वतनशील डी.ए.

तारीख से प्रभावी	ए आई सी पी आई	वी डी ए की राशि (रु.)
1.1.1989	**819**	**221.10**
1.4.1989	**815**	**214.50**
1.7.1989	**825**	**231.00**
1.10.1989	**848**	**268.95**
1.1.1990	**848**	**301.95**
1.4.1990	**861**	**290.40**
1.7.1990	**886**	**331.65**
1.10.1990	**927**	**399.30**
1.1.1991	**960**	**453.75**
1.4.1991	**991**	**504.90**

केन्द्रीय महंगाई भत्ते का पैटर्न अपनाने वाले सरकारी उद्यमों के नाम

क्र.सं. उद्यमों का नाम

1. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड प्लांटेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि.
2. भारत एल्यूमीनियम कं. लि.
3. भारत गोल्ड माइन्स लि.
4. भारत लैदर कॉर्पो. लि.
5. भारत आप्थाल्मिक ग्लास लि.
6. बोंगाईगांव रिफाइनरी एंड पैट्रो कैमिकल्स लि.
7. सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
8. सेंट्रल इनलैंड वॉटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लि.

9. सेंट्रल वेयरहाऊसिंग कॉरपोरेशन
10. कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ (इं) लि.
11. दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन
12. एजुकेशनल कंसलटेंट्स इंडिया लि.
13. इंजीनियर्स इंडिया लि.
14. इंजीनियरिंग प्रोजैक्ट (इंडिया) लि.
15. फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
16. हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लि.
17. हिंदुस्तान प्रीफैब लि.
18. हिन्दुस्तान सॉल्ट लि.
19. हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लि.
20. हॉस्पीटल सर्विसेस कंसलटेंसी कॉरपोरेशन लि.
21. हाउसिंग एण्ड अरबन डेवलपमेंट कॉर्पो.
22. इडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड
23. इंडियन मैडिसिंस फार्मास्यूटिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड
24. इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लि.
25. इंडियन रोड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लि.
26. इंडियन टूरिज्म डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन लि.
27. भारतीय पटसन निगम लिमिटेड
28. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
29. मैगनीज ओर (इण्डिया) लिमिटेड
30. मझगांव डॉक लिमिटेड
31. खनिज खोज निगम लिमिटेड
32. खनन तथा संबद्ध मशीनरी निगम लिमिटेड
33. मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड
34. राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण
35. नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लि.
36. नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लि.
37. नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिकल पॉवर कॉर्पोरेशन लि.
38. नेशनल इंडियन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि.
39. नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि.
40. नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि.
41. नेशनल प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लि.
42. नेशनल रिसर्च डेवलेपमेंट कारपोरेशन लि.
43. नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
44. नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड
45. नेशनल टैक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
46. एन.टी.सी. (ए.पी. कर्नाटक, केरल मेहे) लि.
47. एन.टी.सी. (दिल्ली पंजाब एंड राजस्थान) लि.
48. एन.टी.सी. (मध्य प्रदेश)
49. एन.टी.सी. (गुजरात) लि.
50. एन.टी.सी. (महाराष्ट्र उत्तर) लि.
51. एन.टी.सी. (साउथ महाराष्ट्र) लि.
52. एन.टी.सी. (तमिलनाडु पांडिचेरी) लि.
53. एन.टी.सी. (यू.पी.) लि.
54. एन.टी.सी. (पश्चिम बंगाल, असम, बिहार एवं उड़ीसा) लि.

55. नॉर्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पॉवर कारपोरेशन लि.
56. नार्थ ईस्टर्न हैन्डीक्राफ्टस एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन लि.
57. नार्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉरपोरेशन लि.
58. उड़ीसा ड्रग्स एंड कैमिकल्स लि.
59. रेल इंडिया टैक्नीकल एंड इकोनोमिक सर्विसेज लि.
60. राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
61. पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड
62. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड
63. सांभर सॉल्ट्स लिमिटेड
64. स्टेट फार्म्स कॉर्पोरेशन निगम लिमिटेड
65. भारतीय दूरसंचार परामर्शदाता लिमिटेड
66. भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड
67. उत्तर प्रदेश ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
68. विदेश संचार निगम लिमिटेड
69. जल एवं विद्युत परामर्शी सेवाएं (भारत) लिमिटेड

राष्ट्रपति के निर्देशों का मसौदा

विषयः **सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों को जो अपने कर्मचारियों के संबंध में केन्द्रीय महंगाई भत्ता पद्धति का अनुसरण कर रहे हैं, आई डी ए प्रणाली तथा संबंधित वेतनमानों को अपनाने के लिए उच्चतम न्यायालय के तारीख 3.5.90 के निर्णय के अनुसरण में प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा जारी किए जाने वाले निदेश।**

माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 3.5.90 के निर्णय में दिए गए निदेशों के अनुसार सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उन उद्यमों को जो सीडीए पैटर्न का पालन कर रहे हैं, उस पद्धति के बारे में विस्तृत अनुदेश जारी कर चुकी है जिस पद्धति से उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निदेश भी दिया था कि सरकार अपने विवेकानुसार उन कर्मचारियों के लिए वेतनमानों और महंगाई भत्ता पद्धति का निर्णय कर सकती है जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में 1.1.89 को या इसके बाद नियुक्त किया गया है। न्यायालय ने यह निदेश भी दिया कि जिन कर्मचारियों की नियुक्ति पहले आई.डी. पद्धति पर की जा चुकी है वे अपनी नियुक्ति के निबंधनों व शर्तों के अनुसार विनियंत्रित होते रहेंगे। उद्यम को सरकार द्वारा तैयार किए गए संलग्न नमूने को ध्यान में रखते हुए आई.डी.ए. पद्धति पर संशोधित वेतनमान तैयार करने चाहिए। विवरण में तृतीय सी.पी.सी. महंगाई भत्ता पद्धति के अंतर्गत पूर्व संशोधित वेतनमानों को भी दर्शाया गया है ताकि उसके आधार पर इस समय तृतीय महंगाई भत्ता पद्धति में कार्यरत कर्मचारियों के लिए यथोचित वेतनमान तैयार किए जा सकें। अधिनियम .... की धारा ..../....................... संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद संख्या ....के उपबंधों द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति यह निदेश देते हैं कि .... आई.डी.ए. तथा संबंधित वेतनमान .... को अपनाने के लिए तत्काल उपाय करें और उन अनुलब्धियों तथा अन्य भत्तों का ब्यौरा सरकार के अनुमोदन हेतु दे जिन्हें यह अपने 1.1.89 या इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों को एकमुश्त सौदे के भाग के रूप में देना चाहेगा। इस निदेश के अनुपालन की सूचना .... की वर्ष 1991–92 की वार्षिक रिपोर्ट में दी जाए।

(लो.उ.वि. का का.ज्ञा.सं. 2(48)/90–डीपीई(डब्ल्यूसी), दिनांकः 22 अप्रैल, 1991)